

07.07.25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता
वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-अलग
समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई।

कोई उपस्थित नहीं।
इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता वादी
एवं वादीगण अपने वाद को लेकर गंभीर
नहीं हैं।

लिहाना वादी का वाद 'अदम पैखी' व
'अदम हजिरी' में इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दायरेल दफतर
हो व नंबर से कम हो।


सहायक जलिकदर
(SDO), बाड़मेर

